

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात।

पत्रांक- मान्यता/प्रा० स्तर/अस्थाई / 4705-09/2005-06 दिनांक : 04-6-2005,

प्रबन्धक,
नेशनल पब्लिक स्कूल
पुखरायों - कानपुर देहात।

आपके विद्यालय की प्राइमरी स्तरीय अस्थाई मान्यता के प्रार्थना पत्र पर प्रति उप विद्यालय निरीक्षक/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ उप बेसिक शिक्षा अधिकारी की आख्या एवं संस्तुति के आधार पर बेसिक शिक्षा नियमावली के अध्याय -6 के अन्तर्गत रा० सं०/1999-6-12 (8) /81 दिसम्बर, 1988, रा०सं०/2040/15-5-12 (6) दि० 25-4-91 व 230/15-90 (8एस) (7) 89 18 जनवरी 1996 तथा रा० सं० 1873/15-6-98-1 एस(7) 98, 10 सितम्बर, 1998 के अनुसार आपके विद्यालय को पत्र निर्गमन तिथि से अस्थाई मान्यता निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन जारी करने का निर्णय मान्यता समिति ने दिनांक 03.06.05 को अपनी बैठक में लिया है, तदनुसार आपके विद्यालय को प्राइमरी स्तर की अस्थाई मान्यता दिनांक 04.06.2005 से प्रदान की जाती है।

- 1- विद्यालय की प्रबन्ध समिति का नवीनीकरण नियमित कराकर रखा जाये अन्यथा यह आदेश निष्प्रभावी एवं अमान्य होगा।
- 2- विद्यालय का सुरक्षित कोष रू० 1000/- एवं प्राभूत कोष रू० 2500/- को अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से नियमित बन्धक रखा जाये।
- 3- विद्यालय की साज सज्जा समुचित नहीं है क्रीडा सामग्री, पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था निर्धारित मानक के अनुसार की जाय।
- 4- विद्यालय में सभी शिक्षक प्रशिक्षित होने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाय साथ ही स्थाई मान्यता आवेदन पत्र में शिक्षकों के शैक्षिक एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों को संलग्न किया जाय।
- 5- विद्यालय के भूमि एवं भवन की निजी व्यवस्था की जाय।
- 6- शिक्षा विभाग द्वारा मानक के अनुसार छात्रों से निर्धारित शुल्क लिया जाय तथा विद्यालय की समस्त निधियों के लेखा का उचित रख रखाव एवं जमा डाकघर अथवा अनुसूचित बैंक में किया जाय।
- 7- विद्यालय में कार्यरत प्रशिक्षित शिक्षक को बिना अधोहस्ताक्षरी एवं अध्यक्ष मान्यता समिति की अनुमति लिए न तो निकाला जाय और न ही पद से मुक्त किया जाय।
- 8- विद्यालय में अस्वीकृत पुस्तकों का प्रयोग कदापि न किया जाय तथा अनाधिकृत कक्षाएँ कदापि न चलाई जायें।

आपके द्वारा उक्त प्रतिबन्धों में शिथिलता पाये जाने तथा विभागीय नियमों का उल्लंघन करने पर साथ ही बिन्दु सं. 1 से 8 तक किसी शर्तों का पालन न होने पर उक्त प्रदत्त मान्यता का आदेश निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी एवं अध्यक्ष मान्यता समिति का होगा। मान्यता निरस्त करने के विरुद्ध कोई कानूनी अधिकार प्रबन्ध समिति का न होगा।

(आर० पी० वर्मा)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर देहात

आपके विद्यालय की मान्यता दिये जाने के समय कार्यरत मान्य प्रशिक्षित शिक्षकों का विवरण निम्नलिखित है।

- 1- श्री कुलदीप सिंह प्र० अ०, एम० ए०, बी० एड०
- 2- श्रीमती तृप्ति श्रीवास्तव स० अ०, एम० ए०, बी० एड०
- 3- रमेश चन्द्र स० अ०, एम० ए०, बी० एड०

पृ०सं० - मान्यता/प्रा० स्तर/ अस्थायी/

/2005-06 तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) कानपुर मण्डल, कानपुर।
- 2- जिला समाज कल्याण अधिकारी, कानपुर देहात।
- 3- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रथम /द्वितीय कानपुर देहात।
- 4- सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरौधा - कानपुर देहात।
- 5- सम्बन्धित पत्रावली /आदेश पत्रावली हेतु।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर देहात



प्रेषक

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
कानपुर मण्डल, कानपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक

नेशनल जूनियर हाई स्कूल
पुखराया, विकासखण्ड-अमरौधा
जनपद-कानपुर देहात।

पत्रांक/शि0स0/4565-69 /2004-2005/दिनांक :-16-03-05
विषय :- जूनियर हाई स्कूल की स्थाई मान्यता प्राप्त प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपयुक्त विषय के सन्दर्भ में सूच्य है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त आख्या व अभिलेखों एवं संस्तुति के आधार पर मण्डलीय मान्यता समिति द्वारा अपनी बैठक दिनांक 05 मार्च 2005 में सर्व सम्मति से लिये गये निर्णयानुसार आपके विद्यालय को स्थाई मान्यता वर्ष 2004-2005 से राजाज्ञा संख्या-शि (6) अनु0-646/15-6-97-18 एस (7)/89 दिनांक लखनऊ 13-8-97 में निहित नियमों के अन्तर्गत निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है। गलत तथ्य प्रकाश में आने पर प्रदत्त मान्यता समाप्त की जा सकती है :-

प्रतिबन्ध :-

1. विद्यालय के प्रबन्धक का तथा उसके कार्यों का प्रबन्ध करने वाले अन्य व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वह बेसिक शिक्षा परिषद अधिनियम तथा इस नियमावली के उपबन्धों का तथा परिषद द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन करेगा।
2. विद्यालय में छात्रों के चरित्र निर्माण से सम्बन्धित एवं राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान व सर्व धर्म सम्भाव तथा मानवीय मूल्यों की सम्प्राप्ति के लिए जारी विभिन्न शासनादेशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाये।
3. विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निहित पाठ्यक्रम या पाठ्य-पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रमों में न तो शिक्षा दी जायेगी और न पाठ्य-पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा। विद्यालय में राष्ट्रीय गीतों एवं राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था की जायेगी।

4. विद्यालय अपने शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वही वेतनमान, मँहगाई भत्ता देने का जिम्मेदार होगा जो परिषद के समान अर्हता वाले शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे होंगे। शिक्षक/कर्मचारियों को वेतन भुगतान चेक के माध्यम से उनके खातों में अन्तरण के द्वारा किया जायेगा। विद्यालय के समस्त स्थाई अध्यापकों पर भविष्य निर्वाह निधि की योजना लागू की जानी चाहिए।
5. विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि होगी। हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जायेगी। विद्यालय में अस्वीकृत पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा।
6. विद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालय में समस्त निधियों का लेखा उचित रूप से बैंक या पोस्ट आफिस में रखा जायेगा। भवन शुल्क/कैपिटेशन फीस के रूप में कोई भी धनराशि छात्रों से लिया जाना वर्जित होगा।

भवदीय

(रेखा श्रीवास्तव)

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)

कानपुर मण्डल, कानपुर।

/2004-05/तददिनांक

पृ०सं० - शि०स० /

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. संयुक्त शिक्षा निदेशक/अध्यक्ष, मण्डलीय मान्यता समिति, कानपुर मण्डल, कानपुर।
2. सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी कानपुर देहात।

(रेखा श्रीवास्तव)

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)

कानपुर मण्डल, कानपुर।